वित्तीय स्वीकृति

संख्या-380/52-3-14-बजट(08)/2013

प्रेषक

जय प्रकाश पाण्डेय

उप सचिव

उ0प्र0 □□□□

सेवा में

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 24 फरवरी, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2013-14 में मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत वरिष्ठ □□□□□/अनुदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों के मानदेय □□□□□□ हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-894/52-3-14-□□□(08)/2013 दिनांक 03.04.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में स्थापित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत वरिष्ठ अनुदेशक/अनुदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 6,04,80,000/- (रू0 □□ करोड़ चार लाख अस्सी हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में

http://shasanadesh.up.nic.in

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03.04.2013 द्वारा रू0 03,02,40,000/- (रू0 तीन करोड़ दो लाख चालिस हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर □□□ □□□ □□□

2-उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये करते हुये मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में स्थापित लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत वरिष्ठ अनुदेशक/अनुदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 03,02,40,000/-(रू0 तीन करोड़ दो लाख चालिस हजार म) निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

(i) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(ii) मानदेय हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों □□ □□□ आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया □□□□□

(iii) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को माह मार्च, 2014 की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) □□□□□ □□ □□□□ (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की

स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ □ □-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना-20- सहायत□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□□

3- यहा आदेश वित्त विभाग के आशासकीय पत्र संख्या-ई-11-351/□□-2014-दिनांक 24 फरवरी, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□

संख्या-380(1)/52-3-14-□□□(08)/2013-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0 □□□□□□□

2-□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0 □□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□ □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (□-11) □□□□□/वित्त (□ □-व्ययक) □□□□□-1(02प्रतियों में)/□□□□□ □□□□□-3 □□□□ □□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से

(जय प्रकाश पाण्डेय)

□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in